

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 299]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शुद्धि-पत्र

क्रमांक F A-3-13/2017/1/पांच(46) भोपाल, दिनांक 30-06-2017

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-13-2017-1-पाँच (27), दिनांक 22 जून, 2017, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 281 दिनांक 22.06.2017 में पृष्ठ क्रमांक 562 (2) से 562 (186) तक प्रकाशित हुई है, का निम्नलिखित शुद्धि पत्र प्रकाशित किया जाता है :-

अ.क्र.	राजपत्र की पृष्ठ संख्या	अधिसूचना की पंक्ति क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	562(4)	पंक्ति क्रमांक 1	उस तारीख से, जिससे संयुक्त उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी	उस तारीख से, जिससे प्रशमन उद्ग्रहण के विकल्प का प्रयोग किया जाता है या ऐसी

2.	562(5)	पंक्ति क्रमांक 24	(3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय संयुक्त स्कीम से प्रत्याहरण करने का	(3) ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका आशय प्रशमन स्कीम से प्रत्याहरण करने का
3.	562(6)	पंक्ति क्रमांक 29	संयुक्त उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र	प्रशमन उद्ग्रहण के लिए नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट पात्र
4.	562(9)	पंक्ति क्रमांक 15	जीएसटी आरईजी- 01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य मोबाईल	जीएसटी आरईजी- 01 के भाग क में घोषित स्थायी लेखा संख्यांक, राज्य, मोबाईल
5.	562(11)	पंक्ति क्रमांक 5	किसी राज्य या कियी संघ राज्यक्षेत्र के भीतर बहु कारबार शीर्ष रखने वाले	राज्य के भीतर बहु कारबार शीर्ष रखने वाले
6.	562(14)	पंक्ति क्रमांक 4	और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा	और ऐसे अधिकारी द्वारा, जो परिषद् की सिफारिशों पर राज्य सरकार द्वारा
7.	562(14)	पंक्ति क्रमांक 5	अधिसूचित की जाएं, प्ररूप जीएसटी आरईजी- 06 में प्रदान किया जाएगा।	अधिसूचित की जाएं, प्ररूप जीएसटी आरईजी- 06 में रजिस्ट्रीकरण प्रदान किया जाएगा।
8.	562 (14)	पंक्ति क्रमांक 8	के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।	(1) जहां रजिस्ट्रीकृत आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के उसके आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है, एक आवेदन जीएसटी -11 प्ररूप में साधारण पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रानिक

				रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।
9.	562(17)	पंक्ति क्रमांक 12	तामिल की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर क्यों न उप-नियम (1)	तामिल की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से कारण बताने की अपेक्षा करते हुये, कि क्यों न उप-नियम (1)
10.	562(18)	पंक्ति क्रमांक 18	पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी व्यक्ति का प्रदत्त	पहले रजिस्ट्रीकृत किया गया है स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11	562(18)	पंक्ति क्रमांक 19	रजिस्ट्रीकरण रद्द किये जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति-	21. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना- कोई व्यक्ति प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण रद्द किये जाने के लिए दायी होगा, यदि उक्त व्यक्ति-
12.	562(20) एवं 562(21)	पंक्ति क्रमांक 26, 27, 2	(1) (क) प्रत्येक व्यक्ति, स्रोत पर कर कटाने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत से मिन्न और आय-कर अधिनियम, 1961, आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से नामांकित किए जाए	(1) (क) स्रोत पर कर कटाने वाले व्यक्ति या एक इनपुट सेवा वितरक से मिन्न, विद्यमान विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत और आयकर अधिनियम 1961(सन् 1961 का 43) के प्रावधानों के अंतर्गत स्थाई खाता संख्याक धारक प्रत्येक व्यक्ति अपना ई-मेल पता और मोबाईल नम्बर के विधि मान्य करण द्वारा सामान्य पोर्टल पर सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सेवा केन्द्र के माध्यम से नामांकित करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.